

27.04.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह नेगी उपस्थित आए।

अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 17ख पेश कर कथन किया कि आज अपीलार्थी अनुपस्थित है तथा बहस की तैयारी नहीं हो पायी है, बहस हेतु एक तिथि की याचना की गयी, जिस पर अभियोजन द्वारा अनापत्ति दर्शित करने से स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या— 17ख न्यायहित में स्वीकार कर तिथि मुलतवी की जाती है। शामिल मिश्र हो।

पत्रावली वास्ते अनुपालन अन्तर्गत धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता एवं बहस हेतु दिनांक 06.06.2023 को पेश हो।

(धनंजय चतुर्वेदी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चमोली।